

सूचना के अधिकार 2005 से संबंधित प्रपत्र को पुर्ण करना

बिन्दु क्रमांक 12

योजनाएँ:-

1. ग्रामीण:-

- (1) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ग्रामीण गतिवधित एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)
- (2) नलजल योजनाएं (अपेक्षाकृत बड़े ग्रामों हेतु)
- (3) स्थल जलप्रदाय योजनाएं
- (4) ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था ।
- (5) मार्ग आधारित जनभागीदारी के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन (स्वजलधारा कार्यक्रम)
- (6) समग्र स्वच्छता अभियान

2 नगरीय :-

- (1) सामान्य शहरीय जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन
- (2) गतिवर्धित नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रमों के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन
- (3) शहरीय मल निकासी योजनाओं का क्रियान्वयन
- (4) राष्ट्रीय नदी संरक्षक योजना कार्यक्रम

- नगरीय योजनाओं के कार्य स्थानीय निकायों की मार्ग पर विभाग द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में किये जाते हैं।

कार्यक्रम	वेबसाइट
ग्रामीण पेयजल व्यवस्था	http://ddws.nic.in/data/arwsp/rwsp-guideline.htm
स्वजलधारा कार्यक्रम	www.ddws.nic.in
समग्र स्वच्छता अभियान	www.ddws.nic.in
नगरीय पेयजल व्यवस्था	

ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुसार 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलप्रदाय का प्रावधान है ।

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में 250 व्यक्तियों के लिए एक हैण्डपंप अथवा स्टैंड पोस्ट स्थापित किये जाने का प्रावधान किया जाता है। यदि किसी स्वतंत्र बसाहट हेमलेट/बाडी/टोला/मंजरा/मोहल्ला आदि की जनसंख्या 250 व्यक्तियों से कम है और इसमें पीने योग्य जल का स्रोत नहीं है , तो एक जलस्रोत उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

20 परिवारों अथवा 100 व्यक्तियों , जी भी अधिक हो , की नियमित जनसंख्या वाली स्वच्छ पेयजल स्रोत रहित बसाहट को भी त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्रदाय के लिए इकाई के रूप में मान्य किया गया है।

राज्य सरकार किसी भी बसाहट को उसके आकार /जनसंख्या /परिवारों की संख्या की गणना किए बना , न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की नधि से आच्छादित कर सकती है।

100 व्यक्तियों से कम जनसंख्या वाली अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वाली बसाहटों को भी त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत , प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना है।

समस्याग्रस्त बसाहटों का मापदण्ड

निम्न मापदण्ड वाली बसाहटों को सुरक्षित स्रोत विहीन बसाहट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

- (क) जहाँ सुरक्षित पेयजल स्रोत/मैदानी क्षेत्रों में बसाहट की 1.6किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत पहाडी क्षेत्रों में 100 मीटर उँचाई के अंतर्गत स्थापित नहीं है। स्रोत सार्वजनिक अथवा निजी हो सकते हैं तथापि किसी निजी स्रोत से पेयजल लेने वाली बसाहटों को आच्छादित की गई तभी माना जा सकता है जब जल स्वच्छ , समुचित मात्रा और सभी की पहुँच में हो ।
- (ख) बसाहटें , जिनमें जल स्रोत हों किन्तु वे अधिक खारेंपन , लौह फ्लोराइट राखियां , अन्य टॉक्सिक तल अथवा जैविक प्रदूषण जैसी गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित हों ।
- (ग) बसाहटों , जिनमें जल स्रोत से स्वच्छ जल की उपलब्धता की मात्रा , पीने और भोजन बनाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए , पर्याप्त नहीं हो ।

इसी प्रकार , गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें यदि वे पूर्व मानक के अनुसार पूरी तरह आच्छादित की भी गई हो , को असुरक्षित स्रोत की बसाहट माना जाएगा यदि पीने और भोजन पकाने के उद्देश्य के लिए न्यूनतम मात्रा में आवश्यक स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो ।

जिन बसाहटों में स्वच्छ पेयजल साफ प्रदाय (निजी अथवा सार्वजनिक) मैदानी क्षेत्रों में 1.6 किलो मीटर की परिधि के अंतर्गत और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर के उँचाई के अंतर्गत अवस्थित हो किन्तु स्रोत की क्षमता 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से 40लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच की मात्रा के प्रदाय की हो तो ऐसी बसाहटों को आंशिक रूप से आच्छादित बसाहटों की श्रेणी में रखा जायेगा तथापि इन बसाहटों को जल गुणवत्ता मापदण्डों के आधार पर सुरक्षित स्रोत की बसाहटें माना जायेगा। शेष सभी बसाहटों को पूर्णतः (कवर की गई) बसाहटें माना जायेगा।

प्रदेश की सभी पूर्ण एवं आंशिक पूर्ण ग्रामीण बसाहटों में वर्तमान मापदण्ड 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय की एवं द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् मापदण्ड में 0.5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय की छूट ऐसी बसाहटों में जिनमें स्रोत 0.5 किलो मीटर समतल स्थल पर तथा 50मीटर उपर पहाड़ी स्थल पर हों दी जा सकेगी।

उपरोक्त छूट इस दशा में दी जावेगी कि लाभान्वितों द्वारा योजना की कुल अनावर्ती लागत का एक भाग वहन करेंगे (जो योजना लागत का 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा) तथा योजना पूर्ण होने के पश्चात् योजना के संचालन एवं संधारण का पूर्ण दायित्व वहन करेंगे। जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों की योजना अथवा सामूहिक ग्रामों कि जल प्रदाय योजनाओं , जिन की कुल अनावर्ती लागत बहुत अधिक होती है ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन शासकिय विभाग द्वारा किया जावे। तथा प्रत्येक ग्रामों की परिधि तक शासन द्वारा जलप्रदाय उपलब्ध कराया जावे। ग्राम के अन्दर पेयजल वितरण प्रणाली के लिए लाभान्वितों द्वारा अनावर्ती लागत न्यूनतम 10 प्रतिशत भागीदारी होगी तथा उन्हें भविष्य में जल वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण का पूर्ण उत्तर दायित्व वहन करना होगा। ऐसी स्थिति में शासकीय विभाग/निगम द्वारा ग्राम तक मुख्य जल प्रदाय का संधारण किया जायेगा। विभाग/निगम पीने योग्य पानी के बवल प्रदाय प्रदाय का शुल्क पंचायतों/ग्राम समिति से वसुल कर सकते है। ये जल शुल्क तथा संचालन एवं संधारण की लागत पूर्णतः उपयोगकर्ता/संबंधित लाभान्वितों द्वारा वहन किया जावेगे।

सुरक्षित स्रोत विहीन बसाहटों में कार्य की प्राथमिकता

प्राथमिकताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:-

1. असुरक्षित स्रोत वाली बसाहटों की योजना के लिए प्राथमिकता विशेष रूप से अनु.जाति /अनु.जनजाति वाली बसाहटों अथवा 1994 का स्टेटेरा रिपोर्ट/सर्वेक्षण और 96-97में पुनसर्वेक्षण में ज्ञात की गई अधिक अनु.जाति /अनु.जनजाति जनसंख्या वाली बसाहटों को दी जाना हैं।
2. गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें , अत्यधिक, विषावक्ता (टॉक्सिसिटी) वाली बसाहटों भी अन्य की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाना हैं।
3. सुरक्षित स्रोत वाली बसाहटें –जिनमें 40लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पानी उपलब्ध है , उनमें योजनाएं कार्यान्वित कर जल प्रदाय स्तर 40लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर तक बढ़ाने की योजनाओं की प्राथमिकता।
4. स्कूलों एवं आगंनवाडियों की योजनाएं , जिनमें दसवें वित्त आयोग द्वारा आंवटित राशि के अंतर्गत पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं कराएं जा सकें है।

ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन :-

ग्रामीण बसाहटों में पेयजल आपूर्ति के लिए प्रदेश में सामान्यतः हैण्डपंप योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं किन्तु बड़ों ग्रामों में अथवा ऐसे ग्रामों में जहाँ स्थानीय रूप से सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकें एवं दूरी से पानी लाया जाना आवश्यक हो , वहाँ नलजल प्रदाय योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। जिनके संचालन संधारण का उत्तरदायित्व स्थानिय ग्राम पंचायतों का होता है। जिन ग्रामों में नलकूपों में अधिक गहराई पर पानी उपलब्ध हो वहाँ भी नलकूप में पावर पंप स्थापित कर स्थल जल योजनाएं (स्पॉट सोर्स योजना)

कार्यक्रम एवं लाभान्वित होने वाले हितगाही ।

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पेयजल स्वच्छता एवं पर्यावरण के बीच में विभाग वित्तीय सहायता प्राप्त,केंद्रीय योजनाएं एवंराज्य शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करता है जिससे समाज के सभी वर्गों (ग्रामिण एवं नगरीय) लाभान्वित होते हैं। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है :-

1. केन्द्रीय गतिवर्धित शहरीय कार्यक्रम :

केंद्र शासन की सहायता से वर्ष1991की जनसंख्या के आधार,20000से कम जनसंख्या वाले शहरों में निधरीत माप दण्ड अनुसार केंद्रीय शासन 50 प्रतिशत अनुदान,राज्य शासन 45प्रतिशत अनुदान तथा स्थानीय निकायों द्वारा जन सहयोग 5प्रतिशत,की परियोजना लागत में हिस्सेदारी से कार्यान्वित की जाती है। योजनाओं का संचालन एवं संधारण स्थानिय निकायों द्वारा किया जाता है ।

1. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम :-

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश की मुख्य एवं प्रदूषित नदियों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु नगरो से निकले,प्रदूषित कराने वाले गंदे नालो का अवरोधन तथा दिशा परिवर्तन,गंदे पानी का शुद्धिकरण के कार्य,प्रमुख रूप से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में योजनाओं का निर्माण हेतु शत प्रतिशत राशि केंद्र शासन द्वारा दी जाती हैं तथा इसका संचालन एवं संधारण का पूर्ण दायित्व राज्य शासन का हैं।

उपरोक्त दोनों योजनाएं केंद्र शासन की हैं जिनके संबंध में विस्तृत जानकारी क्रमशः शहरीय विकास मंत्रालय तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त की जा सकती है ।

बिन्दू कंमाक 12

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार , स्वच्छ एवं सुरक्षित जल आपूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मूल रूप से भारत सरकार के राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के सिद्धांतों एवं नितियों के अनुसार ही प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित कि जा रही है ।

कार्यक्रम तीन अलग-अलग परन्तु परस्पर संबद्ध मुद्दों पर केंद्रित हैं :-

- ' आच्छादित (कवर) नही की गई बसाहटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाना
- '' स्वच्छ पेयजल प्रणाली के स्थायित्व को बढ़ावा देना ।
- ' जल गुणवत्ता निगरानी एवं जॉच प्रणाली को संस्थापरक बनाना ।
- ' जल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था ।

ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर ग्राम के स्थान पर स्वतंत्र बसाहटों को इकाई माना गया है। जिनके लिए योजनाएं क्रियान्वित कि जाती है।